न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 48 / 2018
पंजीयन दिनांकः 01.11.2018

श्रीमती राधाबाई पुत्री नारायण पत्नि भंवरलाल जाति माली निवासी सियाखेडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. नाथु पिता चुन्नीलाल जाति माली निवासी साटोला तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
2. जगदीश पिता चुन्नीलाल जाति माली निवासी साटोला तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
3. प्रहलाद पिता चुन्नीलाल जाति माली निवासी साटोला तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
4. रामकन्या पत्नि मदनलाल जाति माली निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. सीताबाई पुत्री अम्बालाल जाति माली निवासी मनासा तहसील मनासा जिला नीमच
6. राज्य जरिये तहसीलदार छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्व निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादडी बमिसल क्रमांक 34 / 2018 प्रार्थना पत्र
निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.07.2018

उपस्थित वक्त बहसः 1. छोगालाल जाट – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. सुरेन्द्र कुमार ओझा – रेस्पोडेन्टगण–1 से 4
3. चन्दनमल जणवा – रेस्पोडेन्ट सं. 5
4. पूरणमल स्वर्णकार – राजकीय अभिभाषक रेस्पो–6

निर्णय **दिनांक 08.04.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 व मृतक चांदी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 के विरूद्ध मौजा सियाखेडी तहसील छोटीसादडी की आराजी नम्बर 354, 364, 365, 367 के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2007 को अंतिम निर्णय व डिक्री किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 व मृतक चांदी ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जो इस न्यायालय द्वारा अपील क्रमांक डिक्री 84/2014 दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 14.03.2018 को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 14.03.2018 की पालना मे उक्त पत्रावली दर्ज रजिस्टर नही की जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 व मृतक चांदी ने दिनांक 18.07.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दिवानी वादपत्र के पूर्व की स्थिति को दर्ज किये जाने का प्रस्तुत किया। जिसमे अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार का सम्मन नोटिस जारी किये बगैर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 व मृतक चांदी वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बिना सुने दिनांक 20.07.2018 को स्वीकार किया जाकर दिनांक 19.05.2007 के पूर्व की स्थिति को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2018 से अंसतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है। जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि न्यायालय आप द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2007 को निरस्त कर प्रकरण को दिनांक 14.03.2018 को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही की गई है। व रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दिवानी का प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलान्ट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बिना सुने बिना नोटिस जारी किये पूर्व स्थिति दर्ज किये जाने का दिनांक 20.07.2018 को आदेश पारित किया है जिससे अपीलान्ट अपने अधिकारो से वंचित रही है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 जाप्ता दिवानी का होकर संक्षिप्त कार्यवाही है। व न्यायालय आपके द्वारा पारित निर्णय व आदेश की पालना किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलान्ट को सुना जाना कतई आवश्यक नही था। अपीलान्ट ने गलत तथ्यो को आधार बनाकर अपील प्रस्तुत की है। अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्तओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.05.2007 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की थी। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 व चांदी ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जो अपील क्रमांक डिक्री 84/2014 दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 14.03.2018 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 व चांदी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था। उक्त प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही करते हुए रेस्पोडेन्ट की ओर से धारा 144 जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रकरण सं. 34/2018 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट को बिना नोटिस जारी किये बिना सुने न्यायिक प्रक्रिया का अपहरण कर दिनांक 20.07.2018 को पूर्व स्थिति कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। जो संहवनीय नही होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रार्थिया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी प्रकरण संख्या 34/2018 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 20.07.2018 निरस्त किया जाकर मूल प्रकरण सं. 2/2004 रेवून्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2007 के साथ संलग्न किया जाकर इस न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 14.03.2018 पर उभयपक्ष को को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिनुसार नव निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़